बन्धुआ मजदूरः एक सामाजिक समस्या

* डॉ. प्रभा बहार

भारत जैसे कल्याणकारी देश में आर्थिक विकास की अवधारणा का मूल आशय सभी देशवासियो की न्यूनतम आवश्यकताओ की पूर्ति से है। दूसरे ये सभी वर्गों को चाहे वह उच्च वर्ग का हो या निम्न वर्ग का, उसे रोटी, कपडा और मकान के साथ–साथ अन्य भौतिक सुविधा की प्राप्त होनी चाहिये। परन्तु यह दुर्भाग्य है कि नियोजित विकास के 51 वर्षों के पश्चात् भी एक चौथाई से भी अधिक जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे अपना जीवन–यापन कर रही है। यही, नहीं देश विद्यमान असंगठित श्रमिक जिसमें बाल श्रमिक, बंधुआ मजदूर एवं महिला श्रमिकों को जोखिम भरे कार्यों में लगा होने से, इन पर होने वाले शोषण हमें सामाजिक न्याय एवं इनके विकास की ओर सोचने पर मजबूर करता है। बन्धुआ मजदूर आज एक ज्वलंत एवं सशक्त समस्या है। आज देश में प्रचार–प्रसार के साथ किसी नई परियोजना का उद्घाटन किया जाता है, उस समय किसी जंगल में देश की धरती पर किसी कोने में कई अभागा परिवार गुलामी की जंजीरों से जकडा हुआ कार्य करता रहता है। वर्तमान में हमारे देश की कुल जनसंख्या (2001 की जनगणना अनुसार) 10,25,251 हजार है जिसमें पुरुषो की जनसंख्या 5,30,422 हजार एवं स्त्रियो की जनसंख्या 4,94,829 हजार है। देश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति की जनसंख्या का प्रतिशत (1991 की जनगणना अनुसार) 16.5 एवं अनुसूचित जनजाति का 8.1 प्रतिशत है। देश में कुल महिला जनसंख्या में से 25.68 प्रतिशत महिलाये कार्यशील है जिसमें अधिकांश महिलाये असंगठित क्षेत्र में कार्य करती है।

देश की कुल जनसंख्या में से वर्तमान में देश में लगभग 40 करोड श्रमिक श्रमकार्य करके जीवन–यापन कर रहे है। जिसमें से 37 करोड़ अंसगठित क्षेत्रो के उद्योगों के कारखानों या अन्य मजदूरी करके अपना पेट पाल रहे। जिस देश की एक तिहाई से अधिक जनसंख्या असंगठित क्षेत्र में कार्य कर रही है , यह बात सोचने पर मजबूर करती है कि क्या देश का विकास हो रहा है, जो श्रमिक देश के विकास में अपना महत्त्वपूर्ण योगदान दे रहा है उसकी स्थिति दयनीय हो सकती है यह सोचा भी नहीं जा सकता क्योंकि वह जिस कार्य में संलग्न है उसकी मूल समस्या गरीबी बेरोजगारी एवं अशिक्षा है। अशिक्षित होने के कारण ही असंगठित श्रमिक की संख्या में लगाातर वृद्धि हो रही है। वर्तमान में सक्रिय जनसंख्या के अन्दर 90% लोग असंगठित क्षेत्र में कार्यरत है, जिसमें आधा से कम यानि 12 करोड किसानी कार्य में कार्यरत है, 8 करोड खेतिहर मजदूर है, 2 करोड भवन निर्माण मजदूर है। सम्पूर्ण विश्व को एक ग्राम के रूप में देखने की दृष्टि तथा सेवाओ, वस्तुओ मनुष्यो तथा पूंजी व आर्थिक संसाधनो से युक्त वैश्विक आवागमन की व्यवस्था को वैश्वीकरण, जगतीकरण, भूमण्डलीकरण अथवा ग्लोबलाइजेशन का नाम दिया गया है। वैश्वीकरण मूलतः एक ऐसा संप्रत्येय है, जो पूँजीवाद के परिवर्तन रूप को इस प्रकार प्रस्तुत करता है, जिसमें उदारीकरण के नाम पर पूँजी का मुक्त आवागमन खुला। बीसवी सदी के अन्तिम दशक से नई सदी के इस दौर में यही वैश्वीकरण अपना विकास आर्थिक साम्राज्यवाद के रूप में कर रहा है। जिसमें मुख्य भूमिका, पूरे विश्व में औद्योगिक क्रांति से सामाजिक परिवर्तन लाने में मजदूरो की भूमिका महत्त्वपूर्ण रही है। लेकिन आर्थिक उत्पादन गतिविधियो में मजदूर ही सबसे अधिक शोषित रहा है। कम लागत से अधिक लाभ के लालच में मानव को ही मानव का गुलाम बनने पर मजबूर कर दिया। गुलामी की इस जटिल सामाजिक समस्या का सबसे गम्भीर तथा भयावह रूप बंधुआ मजदूरी के रूप में सामने आया है।

बंधुआ मजदूर से आशय ''मोटे रूप से बंधुआ मजदूर ऐसे लोगो को माना जाता है जो किसी कर्ज के एवज में देनदार के यहां खुद मजदूरी करता है, अथवा उसके परिवार के किसी आश्रित व्यक्ति से ऐसी मजदूरी करवाता है, यह मजबूरी कब तक चलेगी उसकी कोई निश्चित अवधि नहीं होती है, ऐसी मजदूरी या बिना किसी पगार से की जाती है अथवा बहुत थोडी पगार के लिये की जाती है। यह देखने में आया है कि अपने पुरखो के द्वारा लिए गये कर्ज के लिए पीढ़ी दर पीढ़ी देनदार के यहॉ मुक्त में या थोडी सी मजदूरी की राशि लेकर मजदूरी की जाती रही है ऐसी मजदूरी करने वाले लोगो को कोई दूसरा रोजगार अपनाने के लिये अथवा कही दूसरी जगह पर जाकर रोजगार ढूंढने की स्वतंत्रता नहीं रहती, सभी प्रकार से ऐसे मजदूर देनदार के यहां न केवल अपनी पीढ़ी के लिये बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिये मजदूरी करने हेतु बंधे हुऐ रहते है, मोटे रूप में ऐसे मजदूरों को बंधुआ मजदूर माना गया है।

कुछ रूपयो की खातिर पीढ़ियो से गुलामी सहते कमजोर लोगो की कहानी सामने आती है तो यकीन नहीं होता है कि देश को आजाद हुए छः दशक से अधिक हो गये है, पर सामाजिक आजादी के लिए कुछ वर्ष अभी भी संघर्षरत है। स्थिति यहां तक है कि कुछ जाति और वर्ग के सभी लोग सामाजिक–आर्थिक असमानता एवं निर्योग्यताओं के कारण बंधक जैसा जीवन जीने को मजबूर है। झारखण्ड राज्य के करमो गॉंव का सरयु भुइयां पिछले 24 वर्षो से स्थानीय महाजन के चुंगल में 2000 रू. के कर्ज तले बन्धुआ मजदूरी कर रहा है। रोज 16 घण्टे काम करने के बदले में मात्र 10 रूपये मजदूरी पाता है। 24 सालों में रोज दिन–रात महाजन के घर तथा खेत में मजदूरी करने के बाद भी 2000 रूपये का कर्जा नहीं उतार पा रहा है। उत्तरांचल की बुस्सा जनजाति

* सहायक प्राध्यापक, समाजशास्त्र, संस्कृत महाविद्यालय, इन्दौर (म.प्र)

देश में पाई जाने वाली 75 आदिम जातियों में से एक है। इस समूह के अधिकांश लोग बन्धुआ मजदूरी करते है।

ठेकेदारों द्वारा देश के विभिन्न राज्यो में पीढ़ियों से परिवारों को कुछ रकम पेशगी देकर बन्धुआ मजदूरी कराई जाती है। मध्यप्रदेश के हरदा जिले के कोटनी गाँव में पिछले पांच सालो से एक आदिवासी सम्पत्ति को टिमरनी तहसील के एक दबंग पटेल परिवार ने बन्धुआ मजदूर बना रखा है। तमिलनाडू के झराडे जिले की एक केमिकल फैक्ट्री में एक ही परिवार के पांच सदस्यों से बहुत कम मजदूरी देकर बंधुआ मजदूर बनाया हुआ है। हरियाणा के भिवाली जिले में पत्थर खदानो में अनेक बंधुआ मजदूर कार्य करते मिल जायेंगे। सन् 2002 में छत्तीसगढ़ से हरियाणा की खदानो में काम करने ले जा रहे 31 बन्धुआ श्रमिकों को मुक्त कराया गया इसी वर्ष म. प्र. के देवास जिले में हवनखेड़ी गाँव में बन्धुआ मजदूरी के लिए 6 मासूम बच्चो को अपहरण कर लिया गया पुलिस ने एक सप्ताह अपह त मासूम बच्चो को छुडाकर पालको के सुपुर्द किया। इसी प्रकार देवास की एक सोया फेक्ट्री से जिला एवं पुलिस प्रशासन ने छापा मारकर 22 बाला बन्धुआ मजदूरो को छुड़वाया। ये सभी 22 मासूम जगदलपुर क्षेत्र से अपहरण करके लाये गये थे। मेंघालय की राजधानी शिलांग से बस्तर सम्भाग के 83 आदिवासी श्रमिकों को ठेकेदारों से छुडाया गया। उत्तरप्रदेश के बरेली जिले में बुखारपुरा इलाके से तमिलनाडू से लाये गये बन्धुआ मजदूरो को मुक्त करया गया।

निष्कर्ष

बंधुआ मजदूर जैसी जटिल सामाजिक समस्या को देश व समाज से खत्म करने के लिये बंधक श्रमिक प्रथा समाप्ति अधि ानियम 1976 के तारतम्य में बंध श्रमिकों की पहचान उनकी मुक्ति एवं उनके पुर्नवास हेतु शासन द्वारा उपलब्ध क्रियान्वित योजनाये, बन्धुआ मजदूरी समाप्ति का प्रचार–प्रसार, बंधक श्रमिको की मुक्ति के पश्चात पुर्नवास की ठोस कारवाई हो जिससे बंधक श्रमिक की सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पुनर्वासित हो जाये एवं ऐसे अपराधियो जो बंधक श्रमिक रखने के आदी हो चुके है उन पर कठोर से कठोर कार्यवाही बंधक अधिनियम एवं भारतीय दण्ड संहिता के द्वारा होनी चाहिए एवं दण्डित किया जाना चाहिये। इसके साथ ही इस जटिल समस्या पर राष्ट्रीय स्तर पर नियमों का पालन गम्भीरता से कल्याणकारी योजनाओं का सुचारू रूप से क्रियान्वयन, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के साधन उपलब्ध करवाये जाये। जिससे देश के गुलामी की तरह जीवन व्यतीत कर रहे बंधुआ श्रमिक अपने मौलिक अधिकार को प्राप्त कर सामाजिक–आर्थिक से सुदृढ़ बने जिससे देश की जटिल समस्या बन्धुआ श्रमिक स्वतः धीरे–धीरे समाप्त हो जायेगी।

सन्दर्भ-

1. भारत की जनगणना रिपोर्ट सन् 2001
2. बी.एम.पहाडिया, सामाजिक विचारक
3. बन्धुआ एवं बाल मजदूर के प्रति संवेदनशील बनाने हेतु प्रशिक्षण रिपोर्ट सन् 2004, डॉ. बाबासाहेब आम्बेडकर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान, डॉ. आम्बेडकर नगर (महू)
4. सामाजिक एवं न्याय, खण्ड – 1, अंक –1, सन् 1993
5. नवभारत दिनांक 30.11.2002 पेन नं. 1 व 7
6. हिंदुस्तान दिनांक 03.04.2003, दिनांक 24.01.2003 पेज नं. 09
7. समयगति दिनांक 17.04.2004 पेज नं. 01
8. दैनिक भास्कर दिनांक 03.10.2002
9. नवंभारत टाईम्स दिनांक 01.02.2002 पेज नं. 5
10. राष्ट्रीय सहारा दिनलांक 16.01.203 पेज नं. 01
11. हिंदुस्तान दिनांक 12.02.2003 दिनांक पेज नं. 03
12. नवंभारत टाईम्स, दिनांक 28.06.2003 पेज नं. 6
13. नवंभारत टाईम्स, दिनांक 11.07.2003 पेज नं. 3
14. दैनिक भास्कर दिनांक 08.07.2003 पेज नं. 3
15. द इण्डियन एक्सप्रेस दिनांक 21.07.2003 पेज नं. 04
16. नवंभारत दिनांक 17.04.2004 पेज नं. 09
17. राष्ट्रीय सहारा दिनांक 06.07.2003 पेज नं. 07